

30512

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 200/2014

IN THE MATTER OF:

M.C. Mehta

.....APPLICANT

VERSUS

Union of India &Ors.

...RESPONDENTS

STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF  
DISTRICT GANGA PROTECTION COMMITTEE,  
PITHORAGARH, UTTARAKHAND THROUGH DISTRICT  
MAGISTRATE PITHORAGARH, DISTRICT PITHORAGARH,  
UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED  
24.11.2023 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE  
ABOVE-MENTIONED MATTER

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Status Report by way of Affidavit on behalf of District Ganga Protection Committee Pithoragarh, Uttarakhand through District Magistrate, Pithoragarh, Uttarakhand in compliance of order dated 24.11.2023 passed by this Hon'ble Tribunal in the present matter.	1-18
2.	<u>ANNEXURE- 1</u> : A copy of the compliance report along with Annexures.	19-67

Document with Annexures

Annexure	Content	Page No.
Annexure - I	Letter No. 311/namamigange/03 dated - 06/02/2024	19-23

Annexure - II	Letter no. 1556/NP/NGT 200/2014/2013-24 dated - 05/02/2024, Letter no. 941/NGT/application no. - 200/2014/2023-24 dated - 25/01/2024, Letter no. 606/NP/NGT/su.pre./2023-24 dated - 02/02/2024, Letter no. 83/NP/NGT- su.pre./2024 dated - 05/02/2024, Letter no. 1397/2023-2024 dated - 02/02/2024	24-57
Annexure - III	Letter No.UKPCB/ROH/ganga su./24/2444-1085 dated - 03/01/2024	58-59
Annexure - IV	Letter no. - 183/IDP/ganga samiti dated - 27/01/2024	60
Annexure - V	Letter no. 2658/ bio medical waste management/2023-24 dated - 08/01/2024	61
Annexure - VI	Letter no. 1150 dated - 10/01/2024	62-67

Filed by:

Place : New Delhi

Dated : 07.02.2024

*K. P. Gautam*  
Advocate  
Supreme Court of India  
Reg. No. D/1105  
[KAUSHAL GAUTAM]

Additional Advocate General for the State of Uttarakhand /  
Respondent

Office: A-25, Second Floor,

Defence Colony, New Delhi-110024

Mobile No. 9811101934

Email- [officeofkaushalgautam@gmail.com](mailto:officeofkaushalgautam@gmail.com)



IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 200/2014

**IN THE MATTER OF:**

M.C. Mehta .....APPLICANT

VERSUS

Union of India&Ors. ...RESPONDENTS


**STATUS REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF**  
**DISTRICT GANGA PROTECTION COMMITTEE,**  
**PITHORAGARH, THROUGH DISTRICT MAGISTRATE,**  
**PITHORAGARH, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF THE**  
**ORDER DATED 24.11.2023 PASSED BY THIS HON'BLE**  
**TRIBUNAL.**

I, Reena Joshi W/o Shri Chandra Shekhar Joshi aged about 39 years, presently posted as District Magistrate, Pithoragarh, District Pithoragarh, Uttarakhand, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That I am the deponent in the present matter and by virtue of my official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter and as such I am competent to file the present affidavit.
2. That the present matter was listed before this Hon'ble Tribunal on 24.11.2023 and this Hon'ble Tribunal directed the district Magistrates of all the thirteen districts to file the fresh reports with respect to each city/town of the district, disclosing the following information, quoted verbatim herein:

.....I. Sewage

Solemnly Affirmed before me to day 07.02.24 At 11.00 am by Reena Joshi the deponent is represented by Sri/Km/ Smt. I. J. have satisfied by examining that he/she understand the contents of this affidavit / Document



जिलाधिकारी  
 पितौरागढ़

- a) *Per day generation of sewage in each city/town within the District*
- b) *Quantity of sewage treated per day, city/town wise.*
- c) *The number of sewage treatment plants existing and their capacity and capacity utilization and mode of disposal in each city/town.*
- d) *Quantity of discharged treated waste from each STP, particularly from fecal coliform.*
- e) *Time bound plan to meet the gap, if any, in generation and treatment of sewage.*
- f) *Details of Hotels, Dharamshala, and Ashram operating without proper consent and discharging untreated effluent and the action taken against them.*
- g) *Water quality in river and its tributaries in abutting districts/towns in terms of fecal coliform (MPN/100ml)*

## **II. Municipal Solid Waste Disposal:**

- a) *Per day generation of Solid waste in each city/town within the District.*
- b) *Quantity of solid waste treated per day, in each city/town of the District.*
- c) *The gap in treatment of solid waste.*
- d) *Legacy waste and the time bound plan to treat legacy waste.*
- e) *The manner of utilization of the treated waste as well as rejects arising out of remediation of legacy waste.*
- f) *Current status of dumping of solid waste with reference to location.*



## **III. Construction and Demolition Waste**

- a) *Total per day generation of C & D waste in the District.*

जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

- b) *The detail of plant established for the treatment of C & D waste including the existing capacity and capacity utilization.*

**IV. Industrial Effluent Discharge**

- a) *Number of Industrial Unit discharging their effluent treated/untreated in River Ganga and its tributaries and details of defaulting industrial units.*
- b) *Total daily generation of such industrial waste within the District.*
- c) *The manner of treatment of the Industrial waste so generated.*
- d) *The discharge effluent analysis from the CETP and ETP treating the industrial waste from each outlet.*
- e) *The per day generation of industrial solid waste and manner of its treatment and disposal in the District.*


**V. Regulation of Flood Plain Zone**

- a) *If the flood plain zone has been demarcated and the extent of encroachment on the flood plain zone in the District.*
- b) *The details of direct discharge of pollutants by the encroachers by the side of the River Ganga and its tributaries in the District.*

**VI. Bio medical Waste:**

- a) *The per day total generation of bio medical waste in the District.*
- b) *The manner of its treatment and disposal.*

**VII. Mining**



जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

- a) Number of cases registered within a year against illegal mining in the bed or flood plains of river Ganga and its tributaries and details of enforcement of mining policy of State and "Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining" (EMGSM-2020) and sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016.
2. The concerned hydro project set up on river Ganga and its tributaries will ensure maintaining and complying with the prescribed minimum 15% of flow of water in the river Ganga and its tributaries....."
3. That the District Pithoragarh in the State of Uttarakhand has 5 city/town namely, Pithoragarh, Dharchula, Gangolihat, Berinag, Didihat. Saryu, Ramganga & Kali(Sharda) pass through the area of the District. The city of Dharchula is located at the banks of river Kali Ganga. River Kali Ganga (Sharda), Saryu and Ramganga are the Tributaries of River Ganga.
4. That para – wise report on the information sought by the Hon'ble Green Tribunal is as follows –

Issues	Details	Information of District Pithoragarh	
1. Sewage	a) Per day generation of sewage in each city/town within the district.	I(a) Name of city/town	Per day generation of Sewage
		Pithoragarh	9.00 MLD <u>Letter no. 311 dated – 06/02/2024</u>
		<u>Annexure – I</u>	
		Dharchula	There is no sewage waste in Dharchula NPP
		Gangolihat	There is no sewage waste in Gangolihat NPP
		Berinag	There is no sewage waste in Berinag NPP




  
जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

	Didihat	There is no sewage waste in Didihat NPP	
b) Quantity of sewage treated per day, city/town wise.	<b>I(b) Name of city/town</b>	<b>Quantity of sewage treated per day</b>	
	Pithoragarh	2.15 MLD <b>Letter no. 311 dated – 06/02/2024</b>	
	<b>Annexure - I</b>		
	Dharchula	0 MLD	
	Gangolihat	No STP is installed in the towns and as such presently no sewage is being treated in District Pithoragarh. Using Septic tank and Soak pit for Disposal.	
Berinag			
Didihat			
c) The number of sewage treatment plants existing and their capacity and capacity utilization and mode of disposal in each city/town.	<b>(c) Name of Town and Location</b>	<b>STP Capacity</b>	<b>Capacity Utilization</b>
	Anchholi, Pithoragarh	5 MLD	1 MLD
	Nirada, Pithoragarh	1.25 MLD	0.70 MLD
	Total 02 Nos. of STP in Pithoragarh District, 5 MLD STP has been constructed in Ancholi (Pithoragarh) and 1.25 MLD STP has been constructed in Nirada (Pithoragarh). Mode of disposal is through existing sewer line. <b>Letter no. 311 dated – 06/02/2024, Annexure - I</b>		
d) Quantity of discharged treated sewage from each STP, particularly for fecal coliform.	<b>(d) Name of Town and Location</b>	<b>Quantity of Discharged Treated Sewage from each STP</b>	<b>Fecal Coliform</b>
	Anchholi, Pithoragarh	0.80 MLD	170 MPN/100




*[Signature]*  
जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

			0
	Nirada, Pithoragarh	0.60 MLD	120 MPN/100 0
	<b><u>Annexure – I (Letter no. 311 dated – 06/02/2024)</u></b>		
e) Time bound plan to meet the gap, if any, in generation and treatment of sewage.	There is 2.35 MLD gap. At present, to reduce the 2.35 MLD gap, sewerage connections are being given to the families living in Pithoragarh city. Work will be completed by December 2024.  <b><u>Letter no. 311 dated – 06/02/2024</u></b>  <b><u>Annexure – I</u></b>		
f) Details of Hotels, Dharmshala and Ashram operating without proper constant and discharging untreated effluent and the action taken against them.	<b>Name of city/town</b>	<b>Details of Hotels, Dharmshala and Ashram</b>	
	Pithoragarh	There are 53 hotels and Notice has been sent to 1(one) hotel by Nagar Palika.  <b><u>Notice Report attached in Letter no. 1556 dated – 05/02/2024</u></b>	
	Dharchula	There are 11 hotels in town and all are operating with proper constant.  <b><u>Letter no. 941 dated – 25/01/2024</u></b>	
	Gangolihat	There are 11 hotels in town and all are operating with proper constant and having their own pit.  <b><u>Letter no. 83 dated – 05/02/2024</u></b>	
	Berinag	There are 07 hotels in town and all are operating with proper constant and having their	



जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

			own pit. <b><u>Letter no. 606 dated – 02/02/2024</u></b>
		Didihat	There are 06 hotels in town and all are operating with proper constant and having their own pit. <b><u>Letter no. 1397 dated – 02/02/2024</u></b>
		There are 88 hotels and Dharmshalas, 1(one) hotel was operating without constant, Notice has been sent to the hotel by Nagar Palika, after issuing notice, the hotel owner has made own ETP for waste disposal. Rest of the hotels are connected to Sewer line and having their own pits.	
		<b><u>Annexure - II</u></b>	
	g) Water quality in river and its tributaries in abutting districts/towns in terms of fecal coliform (MPN/100ml)	Sampling has been taken in all ULBs. <b><u>Annexure - I</u></b>	
2. Municipal Solid Waste Disposal	a) Per day generation of solid waste, in each city/town of the district.	<b>II(a) Name of city/town</b>	<b>Per day generation of solid waste</b>
		Pithoragarh	25 TDP <b><u>Letter no. 1556 dated – 05/02/2024</u></b>
		Dharchula	4.5 TDP <b><u>Letter no. 941 dated – 25/01/2024</u></b>
		Gangolihat	0.2 TDP <b><u>Letter no. 83 dated – 05/02/2024</u></b>
		Berinag	01.50 TDP <b><u>Letter no. 606 dated –</u></b>




जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

			<u>02/02/2024</u>
		Didihat	03.30 TDP <u>Letter no. 1397 dated - 02/02/2024</u>
		<b>Annexure - II</b>	
b) Quantity of solid waste treated per day, in each city/town of the district.	(b) Name of city/town	Quantity of solid waste treated per day	
	Pithoragarh	15 TDP <u>Letter no. 1556 dated - 05/02/2024</u>	
	Dharchula	1.35 TDP <u>Letter no. 941 dated - 25/01/2024</u>	
	Gangolihat	0.2 TDP <u>Letter no. 83 dated - 05/02/2024</u>	
	Berinag	01.50 TDP <u>Letter no. 606 dated - 02/02/2024</u>	
	Didihat	0.30 TDP <u>Letter no. 1397 dated - 02/02/2024</u>	
	<b>Annexure - II</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- In Pithoragarh disposal of untreated is done from time-to-time by trammel machine at the Nainipatal Dump Site.</li> <li>- In Dharchula, Gangolihat, Berinag, Didihat Untreated solid waste is disposed by creating pits in unmanned areas.</li> </ul>
c) The gap in treatment of solid waste.	(c) Name of city/town	Gap in treatment of solid waste	
	Pithoragarh	10 TDP Disposal of untreated is being done continuously by trammel machine at the Nainipatal Dump Site. The	




जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

		<p>process of land marking is being done for making Compost Pit for disposal of wet waste. After marking the land, the work of making compost pit will be done with immediate effect. The entire wet waste generated in the city will be disposed of through compost pit. The work will be done within 3 months. The entire dry waste is generated in the city is being disposed by the MRF center.</p> <p><b><u>Letter no. 1556 dated – 05/02/2024</u></b></p>
	Dharchula	<p>3.15 TDP</p> <p>Untreated solid waste is disposed by creating pits in unmanned areas.</p> <p><b><u>Letter no. 941 dated – 25/01/2024</u></b></p>
	Gangolihat	<p>The work of MRF Centre for solid waste management is in the progress, currently a temporary MRF center is made for recycling of solid waste. DPR has been approved for trenching ground but work has not started yet due to opposition of local citizens. Work will start in upcoming 2-3 months.</p> <p><b><u>Letter no. 83 dated – 05/02/2024 (Photos of temporary MRF center attached)</u></b></p>
	Berinag	<p>DPR has been approved but work has not started yet due to opposition of local citizens. Land marking for</p>



जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

			<p>Trenching Ground is in the process work will start after land availability.</p> <p><b><u>Letter no. 606 dated – 02/02/2024 (Photos of temporary MRF center attached)</u></b></p>
		Didihat	<p>The work of MRF Centre for solid waste management is in the progress work will be completed by 31 August 2024. Currently a temporary MRF center is made for recycling of solid waste. Nagar Palika is doing 100% door to door collection and segregation of waste.</p> <p><b><u>Letter no. 1397 dated – 02/02/2024 (Photos of temporary MRF center attached)</u></b></p>
		<b><u>Annexure – II</u></b>	
	d) Legacy waste and the time bound plan to treat legacy waste.	<b>(d) Name of city/town</b>	<b>Time bound plan to treat legacy waste</b>
		Pithoragarh	<p>31,500 tons of legacy waste has been disposed, and the work on disposal of remaining approx. 10,000 tons of garbage is in the progress. Work will be done by December 2024.</p> <p><b><u>Letter no. 1556 dated – 05/02/2024</u></b></p>
		Dharchula	<p>Disposal of 25 tonnes of legacy waste is in the process. The treatment of legacy waste is being done continuously 2 days a week.</p> <p><b><u>Letter no. 941 dated – 25/01/2024 (Photos are</u></b></p>



जिलाधिकारी  
 पथौरागढ़

			<b><u>Attached)</u></b>
		Gangolihat	The treatment of 63.00 sq/mtr. Legacy waste is done by nagarpalika's own machines currently no remaining Legacy Waste is in the town.  <b><u>Letter no. 83 dated - 05/02/2024</u></b>
		Berinag	660.00 metric tonn of legacy waste has been disposed on tender basis; currently no remaining legacy waste is in the town.  <b><u>Letter no. 606 dated - 02/02/2024</u></b>
		Didihat	150 tonnes of Legacy waste is remaining in the town, out of which 80 tonnes of dry waste is separated and treatment of remaining 70 tonnes of legacy waste is in the process. Work will be done in 2-3 months.  <b><u>Letter no. 1397 dated - 02/02/2024</u></b>
		<b><u>Annexure - II</u></b>	
		- Legacy waste treatment facility is available at place named Nainipatal, Pithoragarh.	
	e) The manner of utilization of the treated waste as well as rejects arising out of remediation of legacy waste.	<b>(e) Name of city/town</b>	<b>Manner of utilization of the treated waste</b>
		Pithoragarh	The garbage has been separated and disposed by Trammel Machine.  <b><u>Letter no. 1556 dated - 05/02/2024</u></b>
		Dharchula	After utilization of treated waste rejects from treated waste is being dumped into landfills in unmanned areas.




जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

			Revenue is being obtained by selling treated waste; Rs.-136872-/ revenue has been obtained.  <b><u>Letter no. 941 dated - 25/01/2024 (Receipts are attached)</u></b>
		Gangolihat	After utilization of treated waste, rejects from treated waste is being dumped into landfills in unmanned areas and by selling treated waste; Rs.-3540-/ revenue has been obtained.  <b><u>Letter no. 83 dated - 05/02/2024 (Receipts are attached)</u></b>
		Berinag	After utilization of treated waste, rejects from treated waste is being dumped into landfills.  Approx. Rs.4,000-5,000-/ Revenue is being obtained per month by selling treated waste.  <b><u>Letter no. 606 dated - 02/02/2024 (Receipts are attached)</u></b>
		Didihat	After utilization of treated waste, rejects from treated waste is being dumped into landfills.  Rs.-10538-/ revenue has been obtained by selling treated waste.  <b><u>Letter no. 1397 dated - 02/02/2024 (Receipts are attached)</u></b>
		<b><u>Annexure - II</u></b>	
	(f) Current status of dumping of solid	(f) Name of city/town	Current status of dumping of solid waste




जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

	waste with reference to location.	Pithoragarh	Work on disposal of approximately 10000 tonnes of garbage is in the progress in Nainipatal Trenching Ground.  <b><u>Letter no. 1556 dated – 05/02/2024</u></b>
		Dharchula	The work of dumping of solid waste in Ranthi village in the process and 75% work of Segregation hall has been completed.  <b><u>Letter no. 941 dated – 25/01/2024 (Report and Photos attached)</u></b>
		Gangolihat	For the work of dumping of solid waste management land has been marked in village – Haatpatti, balatadi, but due to strong opposition from local citizens the work has not started. The work will start in upcoming 2-3 months.  <b><u>Letter no. 83 dated – 05/02/2024 (Copy of report attached)</u></b>
		Berinag	For the work of dumping of solid waste management land has been marked in village – salikhet, but due to strong opposition from local citizens the work has not started yet, work will start in upcoming 2-3 months.  <b><u>Letter no. 606 dated – 02/02/2024 (Copy of report attached)</u></b>




जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

		Didihat	The work of dumping of solid waste management in dunalot road, village – Keni, is in the process. Work is started for MRF centre and will be completed by December 2024.  <u>Letter no. 1397 dated – 02/02/2024 (Copy of report attached)</u>
		<u>Annexure - II</u>	
3. Construction and Demolition Waste	a) Total per day generation of C & D waste within the district.	III(a) Name of city/town	Total per day generation of C & D waste
		Pithoragarh	0.46 TDP  <u>Letter no. 1556 dated – 05/02/2024</u>
		Dharchula	0.5 TDP  <u>Letter no. 941 dated – 25/01/2024</u>
		Gangolihat, Berinag, Didihat	Nagar palika does not have any plant for C&D waste, therefore the waste of disposal is being done by citizens in their own lands and waste is being used in their own construction works.  <u>Letter no. 83 dated – 05/02/2024, Letter no. 606 dated – 02/02/2024, Letter no. 1397 dated – 02/02/2024</u>
		<u>Annexure - II</u>	
	b) The detail of plant established for the treatment of C & D waste including the existing capacity and capacity	(b) Name of city/town	Details of plant established
		Pithoragarh	Capacity utilization – 1 TDP  Place named SSB Gate, Chandrabhaga Pithoragarh is marked for C&D waste.




जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

	utilization.	<p>Nagar Palika is collecting C&amp;D waste at this place, which is being used in construction works continuously.</p> <p><b><u>Letter no. 1556 dated - 05/02/2024</u></b></p>
		<p>Dharchula</p> <p>Land marking for the treatment of C&amp;D waste is in the process, currently C&amp;D waste is being dumped at place named Ghatkhola on temporary basis.</p> <p><b><u>Letter no. 941 dated - 25/01/2024</u></b></p>
		<p>Gangolihat, Berinag, Didihat</p> <p>Nagar palika does not have any plant for C&amp;D waste, therefore the waste of disposal is being done by citizens in their own lands and waste is being used in their own construction works.</p> <p><b><u>Letter no. 83 dated - 05/02/2024, Letter no. 606 dated - 02/02/2024, Letter no. 1397 dated - 02/02/2024</u></b></p>
		<b><u>Annexure - II</u></b>
4. Industrial Effluent Discharge	<p>a) Number of industrial unit discharging their effluent treated/untreated in river Ganga and its tributaries and details of defaulting industrial units.</p> <p>b) Total daily generation of such industrial waste</p>	<p>The Regional Office, pollution Control Board has submitted his report vide letter No.UKPCB/ROH/ganga su./24/2444-1085. as per his report the point-wise information is as follows-</p> <p>(a) Total No. of Industries Effluent Discharging outside premises – there are no industries registered in Pithoragarh District.</p> <p>(b) Industrial Effluent Generated – Zero.</p> <p>Total registered industries – Zero.</p> <p>(c) There are no industries registered in</p>



जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़


	within the district.	Pithoragarh District.
	c) The manner of treatment of the industrial waste within the district.	(d) Zero Discharge. (e) 0.34 MT/Annum disposed through TSDF/Authorized recyclers.
	d) The discharge effluent analysis from the CETP and ETP treating the industrial waste from each outlet.	<b><u>Annexure - III</u></b>
	e) The per day generation of industrial solid waste and manner of its treatment and disposal in the district.	
<b>5. Regulation of Flood Plain Zone</b>	a) If the flood plain zone has been demarcated and the extent of encroachment on the flood plain zone in the district.	<b>IV(a)</b> Correspondence is being sent to the Superintending Engineer and the Chief Engineer (Level- 2), Almora by Irrigation Department regarding level marking under the Flood Management Action Plan.  Till date, no instructions have been issued by the Chief Engineer, Irrigation Department, Dehradun for the above work. It will be possible to take further action as soon as instructions are received.  <b><u>Annexure - IV</u></b>
	b) The details of direct discharge of pollutants by the encroachers by the side of the river Ganga and its tributaries in the district.	<b>(b)</b> Survey has been planned and the work to identify the discharge of direct pollutants is in the process. Work will be completed by December 2024.



जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़

6. Bio Medical Waste	a) The per day total generation of bio medical waste in the district.	VI(a) The total estimated daily production of Bio Medical Waste in the district is 23.148 kg. <u>Letter no. 2658 dated – 08/01/2024</u>
	b) The manner of its treatment and disposal.	(b) Generated Bio Medical Waste from Pathology Labs and Hospitals Located in Urban/Rural areas is being done through Deep Burial Pits and Sharp Pits by the pathology labs and hospitals itself. <u>Letter no. 2658 dated – 08/01/2024</u>
<u>Annexure - V</u>		
7. Mining	a) Number of illegal mining cases which are registered within a year related to mining in bed of Ganga and its tributaries.	VII(a) No illegal mining cases are registered within a year. <u>Letter no. 1150 dated – 10/01/2024</u>
	b) Hydro projects to maintain 15% flow.	(b) The Ecological flow in the Tharkot Lake, Pithoragarh constructed by the Irrigation Department is being maintained more than 15%. Presently about 20% out flow will be done in TharkotGadhera by month November to March. <u>Letter no. 183 dated – 27/01/2024</u>
<u>Annexure - IV</u>		

Alkalu  
02-02-24



5. In view of the facts and circumstances as explained hereinabove sincere efforts are taken by the District Ganga Protection Committee, District Pithoragarh. in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal, the same may kindly be accepted

जिलाधिकारी  
पिथौरागढ़


by this Hon'ble Tribunal and the deponent hereby undertakes to comply with every direction passed by this Hon'ble Tribunal.

  
DEPONENT

**VERIFICATION**

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above Status report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified by me at Pithoragarh, Uttarakhand on this 06 day of February, 2024.



  
DEPONENT

Filed by:

[KAUSHAL GAUTAM]  
Additional Advocate General for the State of Uttarakhand /  
Respondent  
Office: C-203, LGF,  
Defence Colony, New Delhi-110024  
Mobile No. 9811101934  
Email- [officeofkaushalgautam@gmail.com](mailto:officeofkaushalgautam@gmail.com)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा,  
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पिथौरागढ़

E-Mail ID - ee.cdpeyjal@gmail.com

Office Ph./Fax No- (05964) 225258

दिनांक : 06/02/2024

पत्रांक 311 / नगरपालिका संज्ञा / 03  
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,  
पिथौरागढ़।

Annexure - I

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या :  
200/214 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 प्राधिकरण द्वारा  
पारित आदेश दिनांक 24.1.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 3344/18-5 पिथौरागढ़, दिनांक  
04.01.2024 के क्रम में सीवरेज सम्बन्धी बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :-

Issues	Information Saught	Proceeding		
1. Sewage	Per day generation of sewage in each city/town within the district	9.00 MLD per day generation of sewage in Pithoragarh town. The waste coming out of sewage treatment is being made available to the Horticulture Department & Nagarpalika Pithoragarh.		
	Quantity of sewage treated per day, city/town wise.	2.15 MLD quantity of sewage treated per day in 02 STP in Pithoragarh town.		
	The number of sewage treatment plant existing and their capacity and capacity utilization and mode of disposal in each city/town	Name of Town and Location	STP Capacity	Capacity Utilization
		Aincholi, Pithoragarh	5 MLD	1 MLD
		Nirada, Pithoragarh	1.25 MLD	0.70 MLD
	Quantity of discharged treated sewage from each STP, particularly for fecal coliform.	Quantity of discharged treated at 5 MLD STP (Aincholi-Pithoragarh) is 0.80 MLD and 1.25 MLD STP (Nirada-Pithoragarh) is 0.60 MLD.		
	Time bound plan to meet the gap, if any, in generation and treatment of sewage.	At present, to reduce the 6.85 MLD gap, sewerage connections are being given to the families living in Pithoragarh city.		
Details of Hotles, Dharmshala and Ashram operating without proper constant and discharging untreated effluent and the action taken against them.				
Water quality in river Ganga and its tributaries in abutting district/towns in terms of fecal coliform (MNP/100ml)	Sampling has been taken in all ULBs.			

भवदीय,

1-1  
अधिशासी अभियन्ता

30533

# Devansh Testing & Research Laboratory Pvt. Ltd.

## Test Report



20

94, Shiv Ganga Industrial Estate, Lakeshwar, Bhagwanpur, Roorkee - 247661(UK)  
 Contact No: 01332-235415, 7060134448, E-mail: dtripltd@gmail.com, Website: www.dtrlab.org

TC-6467  
 DRUG LICENSE No.: 1/UA/CTL/2010

Sample : 1.25 MLD STP WATER

ULR No. : TC646724600000282F

Customer Name : Executive Engineer, Pithoragarh  
 Customer : Construction Division Uttarakhand Pajal Nigam,  
 Address : Pithoragarh Pithoragarh

Report No. : DTRLES-141223005

Your Ref. : 14/12/2023

Sample Qty. : 1 Ltr.

Date of Sampling : 14/12/2023

Date of Receipt : 14/12/2023

Sampling Procedure : DTRL-SOP-QCC-160

Date of Test Performance Initiated : 14/12/2023

### RESULTS OF ANALYSIS

Description

: One 1.25 MLD STP WATER sample was collected by us on 14/12/2023

S.No.	Test Parameters	Results	Test Method
	(i) Chemical Testing (i) - Pollution and Environment		
1	pH	6.97	IS:3025(P-11)2022
2	Total suspended Solids	9 mg/L	IS:3025(P-17)2022
3	Chemical Oxygen Demand	31.9 mg/L	APHA 5220 B 24th Edn.
4	Biochemical Oxygen Demand	10 mg/L	IS:3025(P-44)2023
5	Ammonical Nitrogen (as NH <sub>3</sub> -N)	3.1 mg/L	IS:3025(P-34)1988
6	Total Nitrogen (as N)	4.9 mg/L	APHA 4500 Norg B 24th Edn.
7	Total Phosphate (as PO <sub>4</sub> )	0.7 mg/L	IS:3025(P-31)2022
	(ii) Biological Testing (i) Water		
8	Fecal Coliforms	90 MPN/100ml	IS:1622

Date of Completion : 25/01/2024

Note: Party has asked for the above test only.

25/01/2024

DATE OF ISSUE

REVIEWED BY

Page 1 of 1

AUTHORISED SIGNATORY

Arvind Kharkwal

Authorised Signatory

Testing and Research Laboratory Pvt. Ltd.

#### NOTE

- 1-Samples, not drawn by us unless otherwise stated
- 2-Total liability of our analytical division is limited to the invoiced amount
- 3-Samples will be destroyed after one month from the date of issue of test certificate unless otherwise specified
- 4-Test certificate in full or parts shall not be used for promotional or publicity purposes
- 5-Result given in report are related to sample tested only

211

# 30534

## Devansh Testing & Research Laboratory Pvt. Ltd.

### Test Report

94, Shiv Ganga Industrial Estate, Lakhewari, Bhagwanpur, Roorkee - 247661(UK)  
Contact No : 01332-235415, 7060134448, E-mail : dtrlpvtltd@gmail.com, Website : www.dtrlab.org



TC-6467  
DRUG LICENSE No. : 1/UA/CTL/2010

Sample : 5.0 MLD STP WATER

Customer Name : Executive Engineer, Pithoragarh  
Customer : Construction Division Uttarakhand Peyjal Nigam,  
Address : Pithoragarh Pithoragarh

ULR No. : TC64672460000280F

Report No. : DTRLES-141223004

Your Ref. : 14/12/2023

Sample Qty. : 1 Ltr.

Date of Receipt : 14/12/2023

Sampling Procedure : DTRL-SOP-QCC-160

Date of Sampling : 14/12/2023

Date of Test Performance Initiated : 14/12/2023

### RESULTS OF ANALYSIS

Description

: One 5.0 MLD STP WATER sample was collected by us on 14/12/2023

S.No.	Test Parameters	Results	Test Method
	(I) Chemical Testing (i) - Pollution and Environment		
1	pH	6.82	IS:3025(P-11)2022
2	Total suspended Solids	10 mg/L	IS:3025(P-17)2022
3	Chemical Oxygen Demand	29.9 mg/L	APHA 5220 B 24th Edn.
4	Biochemical Oxygen Demand	9.8 mg/L	IS:3025(P-44)2023
5	Ammonical Nitrogen (as NH <sub>3</sub> -N)	3.0 mg/L	IS:3025(P-34)1988
6	Total Nitrogen (as N)	4.5 mg/L	APHA 4500 Norg B 24th Edn.
7	Total Phosphate (as PO <sub>4</sub> )	0.9 mg/L	IS:3025(P-31)2022
	(II) Biological Testing (i) Water		
8	Fecal Coliforms	90 MPN/100ml	IS:1622

Date of Completion : 25/01/2024

Note: Party has asked for the above test only.

25/01/2024  
DATE OF ISSUE

  
REVIEWED BY

Page 1 of 1

AUTHORISED SIGNATORY

Arvind Kharkwal  
Authorised Signatory  
Devansh Testing & Research Laboratory Pvt. Ltd.

**NOTE:**

- 1-Samples not drawn by us unless otherwise stated
- 2-Total liability of our analytical division is limited to the invoiced amount
- 3-Sample will be destroyed after one month from the date of issue of test certificate unless otherwise specified
- 4-Test certificate in full or parts shall not be used for promotional or publicity purposes
- 5-Result given in report are related to sample tested only



File No. PCB-24007/1/2022-PCB-DEPT-PCB (Computer No. 8720)

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD  
Gaura devi Paryavaran Bhawan  
6-B, SIDCUL, IT Park, Sahasrtradhara Road  
DEHRADUN (Uttarakhand)



उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
गौरा देवी पर्यावरण भवन  
4B-बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्रत्राधार रोड,  
देहरादून (उत्तराखण्ड)

## CENTRAL LABORATORY

S.No.	Name of the Sewage Treatment Plant (With Capacity)	Sampling Point						
		Inlet of STP			Outlet of STP			
		pH	BOD	TSS	pH	BOD	TSS	Fecal Coliform
47	1.0 MLD STP at Jakhan, Dehradun. (Operated by: Uttarakhand Jal Sansthan)	7.24	145	148	7.67	8.8	10	110
48	27 MLD STP at Jagjeetpur, Haridwar. (Operated by: Uttarakhand Jal Sansthan)	6.74	260	248	7.38	9.2	10	63
49	18 MLD STP at Jagjeetpur, Haridwar. (Operated by: Uttarakhand Jal Sansthan)	7.31	240	220	7.74	8.0	09	70
50	68 MLD STP at Jagjeetpur, Haridwar. (Operated by: Uttarakhand Peyjal Nigam)	6.82	150	180	7.28	8.0	10	58
51	18 MLD STP at Sarai, Haridwar. (Operated by: Uttarakhand Jal Sansthan)	6.88	220	200	7.64	9.2	10	70
52	14 MLD STP at Sarai, Haridwar. (Operated by: Uttarakhand Peyjal Nigam)	6.78	200	225	7.81	9.6	09	94
53	33 MLD STP at Saliyar, Roorkee, Haridwar. (Operated by: Uttarakhand Jal Sansthan)	7.39	180	210	7.68	12.0	16	280
54	1.3 MLD STP at Landour (S), Mussoorie. (Operated by: Uttarakhand Jal Sansthan)	6.55	165	163	7.05	9.6	10	350
55	3.12 MLD STP at Bhatta fall, Mussoorie. (Operated by: Uttarakhand Jal Sansthan)	6.44	145	143	7.55	9.2	09	170
56	0.8 MLD STP at Landour (N), Mussoorie. (Operated by: Uttarakhand Jal Sansthan)	7.41	165	162	8.17	9.2	10	110
57	1.2 MLD STP at Happy Valley, Mussoorie. (Operated by: Uttarakhand Jal Sansthan)	7.04	175	178	7.71	10.0	12	540
58	0.9 MLD STP at Kuril Bazaar, Mussoorie. (Operated by: Uttarakhand Jal Sansthan)	6.66	190	192	7.99	9.2	11	130
59	2.0 MLD STP Bakh, Almora, Distt- Almora. (Operated by: Uttarakhand Jal Sansthan)	6.81	248	302	7.86	24.0	30	84
60	0.45 MLD STP at Hari Nagar, Distt- Nainital. (Operated by: Uttarakhand Jal Sansthan)	6.58	280	340	7.30	14.0	18	150
61	0.80 MLD STP at Krishnapur, Distt- Nainital. (Operated by: Uttarakhand Jal Sansthan)	6.93	220	274	7.61	20.0	24	280
62	1.25 MLD STP at Bheemtal, Distt- Nainital. (Operated by: Uttarakhand Jal Sansthan)	6.75	340	412	7.22	28.0	35	170
63	1.25 MLD STP at Nirada, Distt- Pithoragarh. Operated by: Uttarakhand Peyjal Nigam	7.10	275	340	7.60	16.0	19	120

File No. PCB-24007/1/2022-PCB-DEPT-PCB (Computer No. 8720) TL

/2023

/2023

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD  
Gaura devi Paryavaran Bhawan  
46-B, SIDCUL, IT Park, Sahashtradhara Road  
DEHRADUN (Uttarakhand)



उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
गौरा देवी पर्यावरण भवन  
46-बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्रधारा रोड,  
देहरादून (उत्तराखण्ड)

## CENTRAL LABORATORY

S.No.	Name of the Sewage Treatment Plant (With Capacity)	Sampling Point						
		Inlet of STP			Outlet of STP			
		pH	BOD	TSS	pH	BOD	TSS	Fecal Coliform
64	5.0 MLD STP at Alncholi, Distt-Pithoragarh. (Operated by: Uttarakhand Peyjal Nigam)	7.28	228	284	7.37	12.0	15	170
65	1.5 MLD STP at Puchdi, Ramnagar, Nainital. (Operated by: Uttarakhand Jal Sansthan)	7.30	180	222	7.58	9.0	10	94
66	7.0 MLD STP Transport Nagar, Ramnagar, Distt-Nainital. (Operated by: Uttarakhand Jal Sansthan)	7.17	240	308	7.72	6.0	08	84
67	0.45 MLD STP Narayan Nagar, Distt-Nainital. (Operated by: Uttarakhand Jal Sansthan)	6.95	205	254	7.29	26.0	32	210
68	28 MLD STP, Indra Nagar, Haldwani Distt- Nainital. (Operated by: Uttarakhand Peyjal Nigam)	6.62	360	436	7.68	28.0	36	350
69	10 MLD STP Rusi Pond, District-Nainital:	New Sewage Treatment Plant (STP) of 17.5 MLD capacity is under construction.						
Sewage Treatment final effluent standards (As Notified by MoEF&CC).		6.5-9.0	30	<100	<1000			

Note: All values are in mg/l except pH, Fecal coliform (MPN Per 100 ml).

*Pramod Bhandari*  
Pramod Bhandari 05/12/2023  
(Jr. Lab Assistant)

*Pradeep Chauhan*  
05/12/2023  
(Pradeep Chauhan)  
Lab Assistant

*Amit Pokhriyal*  
05/12/2023  
(Amit Pokhriyal)  
Environment Engineer


9/4/24  
05-02-2024

## कार्यालय नगरपालिका परिषद

e-mail: [npppithoragarh@gmail.com](mailto:npppithoragarh@gmail.com)

पत्रांक 1556/एन0पी0/मा0 रा0ह0 प्रा0 200/2014/2023-24 दिनांक 05/01/24

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,  
पिथौरागढ़।DPO  
क्र० 31० का० करे

पु० व० 31०

विषय— मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014 एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-11-2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय से प्राप्त पत्र संख्या 3617/18-5 पिथौरागढ़ दिनांक 24 जनवरी, 2024 के क्रम में पूर्व में निकाय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना में त्रुटियां पायी गयी है। जिन्हें संशोधित कर, नगर पालिका परिषद् पिथौरागढ़ द्वारा की जा रही कार्यवाही की सूचना का विवरण निम्न प्रकार है—

S.N.	Issues	Information Saught (वांछित सूचना)	Proceeding (कार्यवाही)	Compliance and Inputs Required From the Departments
01	Municipal Solid Waste Disposal	1- Per day generation of Solid waste treated per day, in each city/town of the city.	25 TPD	
		2- Quantity of solid waste treated per day, in each city/town of the city.	15 TPD	Where does the untreated waste go? कार्यवाही— नगर निकाय पिथौरागढ़ के अन्तर्गत, untreated waste का निस्तारण नैनीपातल डम्प साइट पर ट्रमल मशीन द्वारा समय-समय पर किया जाता है।
		3- The gap in treatment of solid waste.	10 TPD	Kindly provide details of treatment of remaining waste? कार्यवाही— नगर निकाय पिथौरागढ़ के अन्तर्गत गीले कूड़े के निस्तारण हेतु कम्पोस्ट पिट बनाने के लिए भूमि चिन्हिकरण की कार्यवाही की जा रही है। भूमि चिन्हिकरण उपरान्त कम्पोस्ट पिट बनाये जाने का कार्य तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। कम्पोस्ट पिट के द्वारा नगर में उत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण गीले कूड़े का निस्तारण कर दिया जाएगा। नगर में उत्पन्न होने वाले सम्पूर्ण सूखे कूड़े का निस्तारण

			एम0आर0एफ0 सेक्टर द्वारा किया जा रहा है। जो लगभग 3 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा।
	4- Legacy waste and the time bound plan to treat legacy waste.	31500 टन कूड़े का निस्तारण किया जा चुका है। शेष लगभग 10 हजार टन कूड़े पर कार्य गतिमान है।	where is the legacy waste treatment facility enough to meet the needs? कार्यवाही- नैनीपातल नामक स्थान पर legacy waste treatment facility स्थित है। Inert and outward movement? कार्यवाही- legacy waste निस्तारण करने वाली संस्था द्वारा Inert and outward का निस्तारण किया जा रहा है। निकाय का Inert and outward से कोई संबंध नहीं है। दिसम्बर, 2024 तक legacy waste का पूर्ण निस्तारण कर लिया जाएगा।
	5- The manner of utilization of the treated waste as well as rejects arising out of remediation of legacy waste.	कार्य ट्रामल मशीन द्वारा कूड़े का पृथकीकरण कर निस्तारण किया गया है।	Proof of generated revenue? कार्यवाही- legacy waste निस्तारण करने वाली संस्था को RDF का कार्य हस्तांतरित किया गया है। निकाय का RDF से कोई संबंध नहीं है।
	6- Current status of dumping of solid waste with reference to location.	लगभग 10 हजार टन कूड़ा पर नैनीपातल ट्रॉचिंग ग्राउण्ड पर शेष उपलब्ध है।	
02	Constriction And Demolition Waste	1- Total per day generation of C&D waste with in the district. 2- The detail of plant established for the treatment of C&D waste including the existing capacity and capacity utilization.	0.46 TPD capacity utilization- 1 TPD Is there any proposed action plan for C&D plants in areas where exists none? कार्यवाही- निकाय द्वारा C&D Waste के लिए निकट एस0एस0बी0 गेट, चन्द्रभागा, पिथौरागढ़ में स्थान चिन्हित कर लिया गया है। निकाय द्वारा उक्त स्थान पर C&D Waste एकत्रित किया जा रहा है जिसका उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाएगा।
03	Industrial Effluent Discharge	1- Number of industrial unit discharging their effluent treated/untreated in river Ganga and its tributaries and detail of defaulting industrial units. 2- Total daily generation of such industrial waste with in the district. 3- The manner of treatment of the	पालिका क्षेत्रान्तर्गत कोई भी उद्योग इकाई नहीं है। पालिका क्षेत्रान्तर्गत कोई भी उद्योग इकाई नहीं है।

		industrial waste with in the district.		
		4- The discharge effluent analysis from the CETP and ETP treating the industrial waste from each outlet.	पालिका क्षेत्रान्तर्गत कोई भी उद्योग इकाई नहीं है।	
		5- The per day generation of industrial solid waste and manner of its treatment and disposal in the district.	पालिका क्षेत्रान्तर्गत कोई भी उद्योग इकाई नहीं है।	
04	Legacy Waste	1- Legacy waste and the time bound plan to treat legacy waste.	31500 टन कूड़े का निस्तारण किया जा चुका है। शेष लगभग 10 हजार टन कूड़े पर कार्य गतिमान है।	वर्तमान में 10 हजार टन Legacy waste नैनीपातल नामक स्थान पर उपस्थित है।
		2- The manner of utilization of the treated waste as well as rejects arising out of remediation of legacy waste.	कार्य ट्रामल मशीन द्वारा कूड़े का पृथकीकरण कर निस्तारण किया गया है।	कार्य ट्रामल मशीन द्वारा 31500 टन कूड़े का पृथकीकरण कर निस्तारण किया गया है निस्तारण करने वाली संस्था को rejects निस्तारण का कार्य हस्तांतरित किया गया था। निकाय का rejects से कोई संबंध नहीं है।
		3- Current status of dumping of solid waste the reference to location	लगभग 10 हजार टन कूड़े पर कार्य गतिमान है।	नैनीपातल नामक स्थान पर कार्य ट्रामल मशीन द्वारा कूड़े का पृथकीकरण कर निस्तारण किया गया है।
05	Sewage	1- The per day generation of sewage in each city/town within the district.		
		2- Quantity of sewage treated per day city/town wise		
		3- The number of sewage treatment plant existing and their capacity utilization and mode of disposal in each city/town.		
		4- Quantity of discharge treated sewage from each STP particularly for fecal coliform.		
		5- Time bound plan to meet the gap,if any,in generation and treatment of sewage		
		6- Detail of Hotels, Dharamshala and ashram operating without proper contant and discharging untreated effluent and the action taken against them,	उक्त के सम्बन्ध में 01 बड़े होटल व्यवसायी को नोटिस जारी किया गया है।	how many total hotels/dharamshalas etc. in the town? कार्यवाही- निकाय अन्तर्गत कुल 53 छोटे-बड़े होटल स्थित है जिनकी सूची संलग्न है। how many operationg without consent and what is the action taken against the violators? कार्यवाही- निकाय द्वारा 01 बड़े होटल व्यवसायी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की प्राप्ति संलग्न है। नोटिस जारी करने उपरान्त होटल व्यवसायी द्वारा स्वयं का ETP बना लिया गया है। इसके अतिरिक्त

			नगर निकाय के अन्तर्गत सभी होटल/घर्मशाला सीवर लाईन से जुड़े हैं।
	7- Water quality in river ganga and its tributaries in abutting districts/towns in terms of fecal coliform (MPN/100 ml)	नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ गंगा टाउन सिटी नहीं है।	

अतः उक्त सूचना स्वीकार करने का कष्ट करें।

  
अधिशाली अधिकारी  
नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़।  
नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
अधिशाली अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़।

# कार्यालय नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़

e-mail:-[npppithoragarh@gmail.com](mailto:npppithoragarh@gmail.com)

पत्रांक 1482 / एन0पी0 / C&D Waste / 2023-24 दिनांक 18 | जनवरी, 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
पिथौरागढ़।

विषय:- 'निर्माण एवं विध्वंस सामाग्री' (C&D Waste) के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि नगर में उत्पन्न हो रहे निर्माण एवं विध्वंस सामाग्री (C&D Waste) का नगर पालिका द्वारा समय-समय पर निस्तारण, कृष्णापुरी में निर्मित नाला/मार्ग के किनारे स्थित गड्डे में किया जा रहा है जो इसलिए आवश्यक है कि मौके पर स्थिति गड्डे में जल भराव आदि न हो, परन्तु उत्पन्न हो रहे निर्माण एवं विध्वंस सामाग्री (C&D Waste) को अधिक दिनों तक उक्त स्थल पर नहीं डाला जा सकता।

महोदय यह भी सज्जान में लाना है कि टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार निर्माण एवं विध्वंस सामाग्री (C&D Waste) का निस्तारण वैज्ञानिक विधि से किया जाना अतिआवश्यक है, जिस हेतु पर्याप्त भूमि की आवश्यकता है।

महोदय के सज्जान में यह भी लाना है कि SSB Gate से ऐंचोली को आने वाले मार्ग होटल श्रेष्ठ के सामने तक लगभग 6 से 7 नाली राजस्व की भूमि रिक्त पड़ी है जिस पर अनाधिकृत रूप से अराजक तत्वों द्वारा रेत, बजरी आदि रखकर व्यापार किया जा रहा है एवं टीनशेड आदि बनाकर कब्जा किया गया है यदि उक्त भूमि नगर पालिका को हस्तान्तरित कर दी जाती है तो उक्त स्थल पर निर्माण एवं विध्वंस सामाग्री (C&D Waste) का निस्तारण विधिवत किया जा सकता है तथा भविष्य में दो मजिले पर पार्किंग का निर्माण भी किया जा सकता है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि कार्य की महत्वता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भूमि नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ के नाम हस्तान्तरित करने एवं वर्तमान में निर्माण एवं विध्वंस सामाग्री (C&D Waste) रखने हेतु अनापत्ति देने बावत संबंधित को आदेश देने का कष्ट करेंगे।

भवदीय

अधिसासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि:-

1. उपजिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त पर अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

अधिसासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़।

(2)

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

संख्या : 1086 / XXIII-स्था0नि0 / 2023-24

दिनांक 23 जनवरी, 2024

सेवा में,

संयुक्त मजिस्ट्रेट / उपजिलाधिकारी,  
पिथौरागढ़।


विषय : निर्माण एवं विध्वंस सामग्री (C&D Waste) के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ के पत्र संख्या 1482 / एन0पी0 / C&D Waste / 2023-24 दिनांक 18 जनवरी, 2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से नगर क्षेत्र में उत्पन्न हो रहे निर्माण एवं विध्वंस सामग्री के निस्तारण हेतु एस0एस0वी0 गेट से ऐंचोली को आने वाले मार्ग में स्थान होटल श्रेष्ठ के सामने स्थित लगभग 06-07 नाली राजस्व भूमि में अनाधिकृत रूप से अराजक तत्वों द्वारा रेंता, बजरी आदि रखकर व्यापार किया जाना अवगत कराते हुए, उक्त स्थान को नगर क्षेत्र में जनित निर्माण एवं विध्वंस सामग्री (C&D Waste) के निस्तारण हेतु प्रयुक्त किये जाने हेतु नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ के नाम हस्तान्तरित किये जाने एवं वर्तमान में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री (C&D Waste) रखने हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ स्तर से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सुस्पष्ट मन्तव्य / संस्तुति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उक्तानुसार।

  
प्रभारी अधिकारी,  
कृते जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ  
प्रेषित।

  
प्रभारी अधिकारी,  
कृते जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।


कार्यालय नगरपालिका परिषद पिथौरागढ़  
पत्रांक 2435 / एन.पी. / रा0अनु0 / 2022-23 दिनांक 14/10/22

अंतिम नोटिस

श्री भुवन गुज्याल,  
होटल मधुर रेजीडेन्सी,  
चण्डाक।

आपके चण्डाक स्थित मधुर रेजीडेन्सी होटल में 20 से अधिक कमरे होने के कारण S.T.P. लगाया जाना अनिवार्य है। इस काम में Waste water / अपशिष्ट जल का निस्तारण करने हेतु आपको पूर्व में कार्यालय पत्रांक सं0 1911 / एन0पी0 / रा0अनु0 / 2022-23 दिनांक 12.07.2022 तथा पत्रांक सं0 2052 / एन0पी0 / रा0अनु0 / 2022-23 दिनांक 12.08.2022 द्वारा अवगत कराया गया था, परन्तु आपके द्वारा अभी तक आदेशों अनुपालन नहीं किया गया है।

अतः आपको अंतिम बार सूचित किया जाता है कि आप एक सप्ताह के भीतर S.T.P. स्थापित करते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा S.W.M.R. 2016 के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत आपके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।  
सूचना जानें।



अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि:-

- 1- जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़

का मे.

आधिवासी अधिकारी  
नगर पालिका पिथौरागढ़

महोदय

अवगत कराना था कि, आपके द्वारा S.T.P.  
बनाने के सम्बन्ध में जो नोटिस प्राप्त हुआ  
इस सम्बन्ध में हमारे द्वारा S.T.P कार्य पूर्ण  
करा दिया गया है,

हमारे द्वारा S.T.P कार्य पूर्ण होने के बाद  
द्वारा प्रति सलग्न है, कार्य के उपरान्त अब  
से FRP टैंक का fecal sludge S.T.P के द्वारा  
Treat / Decompose किया जा रहा है,  
Treatable water को Hotel परिसर के गार्डन  
में सिंचाई के रूप में उपयोग किया जा रहा है,

Date-05-02-2024.

धन्यवाद  
Guntyal Mathur Residency

Prop  
होटल गुज्याल मथुर  
रेजिडेन्सी-राज्य  
पिथौरागढ़



② 11



## कार्यालय नगर पालिका परिषद, धारचूला (पिथौरागढ़)

e-mail-cotha-mb-uk@nic.in / nupltharchula@gmail.com

Tel & Fax-05987-222282

पत्रांक 94) / मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण/आवेदन संख्या-200/2014/2023-24 दिनांक 25.01.2024 सेवा में.

प्रभागीय यनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योचित मूल आवेदन संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 के अनुपालन के संबंध में ।

महोदय,


उपरोक्त विषयक कार्यालय श्रीमान् प्रभागीय यनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 3617/18-5 पिथौरागढ़ दिनांक 24 जनवरी, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें । मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योचित मूल आवेदन संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 के अनुपालन के संबंध में नगर पालिका परिषद, धारचूला पुनः द्वारा विन्दुवार सूचना निम्नवत् तैयार कर महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है ।

Issues	Information Sought (वांछित सूचनाएं)	Proceeding (कार्यवाही)
1. Sewage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per day generation of sewage in each city/town within the district</li> <li>Quantity of sewage treated per day, city/town wise</li> <li>The number of sewage treatment plants existing and their capacity and capacity utilization and mode of disposal in each city/town</li> <li>Quantity of discharged treat sewage from each STP, particularly for fecal coliform.</li> <li>Time bound plan to meet the gap, if any in generation and treatment of sewage.</li> <li>Details of Hotels, Dharmshala and Ashram operating with proper constant and discharging untreated effluent and the action taken against them.</li> </ul>	<p>सीवर कार्य उत्तराखण्ड जल संस्थान धारचूला के अधीन है</p> <p>नगर पालिकान्तर्गत 11 होटल, 0 धर्मशाला, 0 आश्रम संचालित है। सभी होटल सीवर लाईन से जुड़े हुए हैं।</p>
2. Municipal Solid Waste disposal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Per day generation of solid waste treated per day, in each city/ town of the district.</li> <li>b) Quantity of solid waste treated per day, in each city/ town of the district.</li> <li>c) The gap in treatment of solid waste.</li> <li>d) Legacy waste and the time bound plan to treat Legacy waste.</li> </ul>	<p>नगर पालिका परिषद धारचूला अन्तर्गत उत्पादित लगभग 4.5 टन कूड़ा उत्पादित होता है, जिसके सापेक्ष 1.35 टन कूड़ा उपचारित किया जाता है।</p> <p>नगर पालिका परिषद धारचूला अन्तर्गत उत्पादित लगभग 4.5 टन कूड़ा उत्पादित होता है, जिसके सापेक्ष 1.35 टन कूड़ा उपचारित किया जाता है।</p> <p>3.15 अनुपचारित सोलिड वेस्ट को मानव रहित स्थानों पर गद्दे बनाकर, निस्तारित किया जाता है।</p> <p>नगर पालिका के समीपस्थ ग्राम रांथी के सेंटा नामक स्थल पर ट्रेडिंग ग्राउण्ड सहित सोप्रीगेशन हॉल का निर्माण प्रगति पर है। निर्माण कार्य का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य 30 जून 2024 तक पूर्ण कर, इसका सुचारु संचालन आरम्भ हो जाएगा।</p>

	<p>e) The manner of utilization of the treated waste as well as rejects arising out of remediation of Legacy waste.</p>	<p>नगर पालिका परिषद, धारचूला द्वारा कूड़ा निस्तारण स्थल दोबाट में लीगेरी वेस्ट निस्तारण का कार्य निकाय द्वारा अपने संसाधनों से जे0सी0वी0 लगाकर लीगेरी वेस्ट को खोदकर एवं पर्यावरण मित्रों द्वारा प्लास्टिक, गत्ता, शीशा एवं लोहा पृथक कर एग0आर0एफ0 सेन्टर में पहुँचाया जा रहा है एवं गीला कूड़ा गडडों में डाला जा रहा है। उक्त कार्य अनवरत रूप से सप्ताह में दो बार किया जा रहा है।</p> <p>उत्पादित ठोस अपशिष्ट में उपचारित वेस्ट के उपयोग के तरीके को साध-साध विरासती कचरे को (लेण्डफिल) गडडों में डाला जा रहा है। अपने संसाधनों से जे0सी0वी0 लगाकर लीगेरी वेस्ट को खोदकर एवं पर्यावरण मित्रों द्वारा प्लास्टिक, गत्ता, शीशा एवं लोहा पृथक कर एग0आर0एफ0 सेन्टर में पहुँचाया जा रहा है एवं उसका विक्रय कर राजस्व प्राप्त किया जाता है। नगर पालिका परिषद धारचूला द्वारा उक्त विक्रय से प्राप्त रू0-136872/- प्राप्त कर निकाय कोष में जमा कर दिया है।</p> <p>ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अन्तर्गत शासन से स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार ग्राम रांची के लोक सिगट्टा में 0.10 हेक्टर भूमि पर निर्माण कार्य प्रगति पर है</p> <p><b>कुल स्वीकृत डी0पी0आर0-</b>  स्वीकृत धनराशि रू0-185.50 लाख  अवमुक्त धनराशि रू0-115.94 लाख  माह अक्टूबर, 2023 तक उपयोग रू0- 38.96 लाख</p> <p>डी0पी0आर0 के अनुसार सेप्रीगेशन हॉल, नाडेप पिट, आर्गेनिक वेस्ट कम्पोस्टर, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट, बायो गैस प्लांट आदि बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर विधिवत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।</p>
	<p>• The Detail of plant established for the treatment of C&amp;D waste including the the existing capacity and capacity utilization</p>	<p>नगर पालिका परिषद, धारचूला अन्तर्गत प्राप्त निर्माण एवं विघ्यंस (C&amp;D) अपशिष्टों के निस्तारण हेतु उप जिलाधिकारी महोदय, धारचूला से भूमि हस्तान्तरण हेतु अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होने उपरान्त विधिवत/नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। वर्तमान में अस्थाई रूप से घटखोला नामक स्थान में C&amp;D अपशिष्ट को डम्प किया जा रहा है।</p>
<p>3.Regulation of Flood Plain Zone</p>	<p>-</p>	<p>नगर पालिका परिषद, धारचूला से संबन्धित नहीं है।</p>
<p>4. Mining</p>	<p>-</p>	<p>नगर पालिका परिषद, धारचूला से संबन्धित नहीं है।</p>

  
अधिशाली अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, धारचूला  
(पिथौरागढ़)

		<p>शुद्ध स्वीकृत डी०पी०आर- स्वीकृत पत्रराशि ₹0-105.50 लाख अप्रयुक्त पत्रराशि- ₹0-115.94 लाख माह अक्टूबर, 2023 तक उपयोग ₹0- 38.90 लाख स्वीकृत डी०पी०आर० के अनुसार रीग्रेशन हॉल, नाडेप पिट, आर्गेनिक गैस कम्प्रेसर, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट, बायो गैस प्लांट आदि बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर विधिवत कार्यवाही अगल में लाई जायेगी।</p>
3. Construction and Demolition waste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total per day generation of C&amp;D waste with in th district</li> <li>The Detail of plant established for the treatment of C&amp;D waste including the the existing capacity and capacity utilization</li> </ul>	<p>0.8 टन प्रति दिन</p> <p>नगर पालिका परिषद, धारचूला अन्तर्गत प्राप्त निर्माण एवं विध्वंस (C&amp;D) अपशिष्टों के निरन्तरण हेतु उप जिलाधिकारी गहोदय, धारचूला से भूमि हस्तान्तरण हेतु अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होने उपरान्त विधिवत/नियमानुसार कार्यवाही अगल में लाई जायेगी।</p>
4. Industrial Effluent discharge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Number of Industrial unit discharging their effluent treated/untreated in river Ganga and its tributaries and details of defaulting industrial units.</li> <li>Total daily generation of such Industrial waste within the district.</li> <li>The manner of treatment of the industrial waste within the district.</li> <li>The discharge effluent analysis from the CETP and ETP Treating the industrial waste from each outlet.</li> <li>The per day generation of industrial solid waste and manner of its treatment and disposal in the district.</li> </ul>	<p>नगर पालिका परिषद धारचूला अन्तर्गत कोई भी औद्योगिक ईकाई स्थापित नहीं है।</p> <p>NIL</p> <p>नगर पालिका परिषद धारचूला अन्तर्गत कोई भी औद्योगिक ईकाई स्थापित नहीं है।</p> <p>नगर पालिका परिषद धारचूला अन्तर्गत कोई भी औद्योगिक ईकाई स्थापित नहीं है।</p> <p>नगर पालिका परिषद धारचूला अन्तर्गत कोई भी औद्योगिक ईकाई स्थापित नहीं है।</p>
5. Regulation of Flood Plain Zone	-	नगर पालिका परिषद, धारचूला से संबन्धित नहीं है।
6. Bio Medical Waste.	-	नगर पालिका परिषद, धारचूला से संबन्धित नहीं है।
7. Mining	-	नगर पालिका परिषद, धारचूला से संबन्धित नहीं है।
8. Legacy Waste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legacy waste and the time bound plan to treat legacy waste.</li> <li>The manner of utilization of the treated waste as well as rejects arising out of remediation of legacy waste.</li> <li>Current status of dumping of solid waste the reference to location.</li> </ul>	<p>नगर पालिका परिषद धारचूला अपने संसाधनों से जे०सी०बी० लगाकर लीगेसी वेस्ट को खोदकर एवं पर्यावरण मित्रों द्वारा प्लास्टिक, गत्ता, शीशा एवं लोहा पृथक कर एम०आर०एफ० सेन्टर में पहुँचाया जा रहा है एवं उसका विक्रय कर राजस्व प्राप्त किया जाता है।</p> <p>ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अन्तर्गत शासन से स्वीकृत डी०पी०आर० के अनुसार ग्राम रांथी के लोक सैगट्टा में 0.10 हेक्टर पर भूमि पर निर्माण कार्य प्रगति पर है</p>

  
 अधिशासी अधिकारी,  
 नगर पालिका परिषद, धारचूला  
 (पिथौरागढ़)



## कार्यालय नगर पालिका परिषद, धारचूला (पिथौरागढ़)

e-mail- codha-mb-uk@nic.in / nppdharchula@gmail.com

Tel & Fax-05967-222262

पत्रांक ज्ञाप/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण/आवेदन संख्या-200/2014/2023-24

दिनांक 02.02.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 के अनुपालन के संबंध में ।




महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय श्रीमान् प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 3617/18-5 पिथौरागढ़ दिनांक 24 जनवरी, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें । मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 के अनुपालन के संबंध में नगर पालिका परिषद, धारचूला पुनः द्वारा बिन्दुवार सूचना निम्नवत् तैयार कर महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है ।

<p>8. Legacy Waste</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legacy waste and the time bound plan to treat legacy waste.</li> <li>The manner of utilization of the treated waste as well as rejects arising out of remediation of legacy waste.</li> <li>Current status of dumping of solid waste the reference to location.</li> </ul>	<p>नगर पालिका परिषद धारचूला द्वारा 1996 से प्रशासन द्वारा चयनित भूमि जो नगर से लगभग 4 कि0मी0 दूर दोवाट नामक स्थान पर कूड़ा निस्पादित किया जा रहा है । लीगेसी वेस्ट जो लगभग 25 टन है, को नगर पालिका परिषद, धारचूला द्वारा अपने संसाधनों से जे0सी0वी0 लगाकर लीगेसी वेस्ट को खोदकर एवं पर्यावरण मित्रों द्वारा प्लास्टिक, गत्ता, शीशा एवं लोहा पृथक कर एम0आर0एफ0 सेन्टर में पहुँचाया जा रहा है एवं उसका विक्रय कर राजस्व प्राप्त किया जाता है एवं शेष गीले कूड़े को गडदों में डाला जा रहा है । लीगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य अनवरत रूप से सप्ताह में 2 बार किया जा रहा है । ( फोटोग्राफ संलग्न हैं )</p> <p>वोस अपशिष्ट प्रबन्धन अन्तर्गत शासन से स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार ग्राम रांथी के तोक सैगट्टा में 0.10 हेक्टर भूमि पर निर्माण कार्य प्रगति पर है ।</p>
------------------------	---	--

  
 अधिशासी अधिकारी,  
 नगर पालिका परिषद, धारचूला  
 (पिथौरागढ़)

नगर पालिका परिषद, धारचूला द्वारा लीगेसी वेस्ट निस्तारण कार्य-



**कार्यालय नगर पालिका परिषद, धारचूला (पिथौरागढ़)**e-mail- [codha-mb-uk@nic.in](mailto:codha-mb-uk@nic.in) / [nandharchula@gmail.com](mailto:nandharchula@gmail.com)

Tel &amp; Fax-03967-222262

पत्रांक **प्राप** / ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन/सेनेट्री लैण्ड फिल/भूमि उपलब्ध/2023-24 दिनांक 28.12.2023  
सेवा में.जिला अधिकारी,  
पिथौरागढ़ ।

विषय:- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सेनेट्री लैण्ड फिल (एस0एल0एफ0) हेतु अतिरिक्त भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुरोध कर अवगत कराना है कि वर्तमान में ग्राम रांथी तोक सैगढ़टा में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु भूमि श्रीमान् जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अपने आदेश संख्या-899/सात/-14/2021-22 दिनांक 14 मार्च, 2022 हस्तान्तरित की गई है, परन्तु हस्तान्तरित भूमि स्थल पर निर्माण स्थल से 15-20 मीटर तक की दूरी पर नदी होने के कारण लैण्डफिल हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है । लैण्डफिल हेतु अतिरिक्त भूमि हस्तान्तरण के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक झाप/ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन/सेनेट्री लैण्डफिल/भूमि उपलब्ध/2022-23 दिनांक 23.11.2022 द्वारा श्रीमान् उपजिलाधिकारी, धारचूला से पत्राचार किया गया है, परन्तु वर्तमान समय तक कार्यवाही अपेक्षित है ।

अतः महोदय से अनुरोध है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सेनेट्री लैण्ड फिल (एस0एल0एफ0) हेतु अतिरिक्त भूमि आवंटित किये जाने हेतु राजस्व विभाग, धारचूला को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे ।

OL

  
अधिसासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, धारचूला  
(पिथौरागढ़)  
28/12/23



Local Council Post Office

## कार्यालय नगर पालिका परिषद, धारचूला (पिथौरागढ़)

e-mail: npsdharchula@gmail.com

Tel A Fax-9991222262

पत्रांक शाप/ठोरा अपशिष्ट प्रबन्धन/रोनेट्री लैण्डफिल/भूमि उपलब्धि/2022-23

दिनांक 23.11.2022

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,  
धारचूला ।

विषय:- ठोरा अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत रोनेट्री लैण्डफिल हेतु अतिरिक्त भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुरोध करना है कि यार्गान में ग्राम रांथी तोक सैट्टा में ठोरा अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु भूमि कार्यालय श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ द्वारा अपने आदेश संख्या-899/सात-14/2021-22 दिनांक मार्च 14, 2022 द्वारा हस्तान्तरित की गई है, परन्तु उक्त स्थल पर निर्माण स्थल से 15-20 मीटर तक दूरी पर नदी होने के कारण रोनेट्री लैण्डफिल हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है ।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त कार्य हेतु नगर पालिका परिषद, धारचूला को लगभग 10 नाली भूमि उपलब्ध कराये की कृपा करें ।

Pac

अधिसासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद, धारचूला

(पिथौरागढ़)

23/11/22

## नगरपालिका परिषद, बेरीनाग जनपद-पिथौरागढ।

पत्रांक: 606 / एन0पी0 / मा0रा0ह0प्राधि-सू0प्रे0 / 2023-24

दिनांक 02 फरवरी, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वन प्रभाग पिथौरागढ।

विषय-

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दि0-24.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-3617/18-5 पिथौरागढ दिनांक 24 जनवरी, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। जिसमें विषयगत प्रकरण पर जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014 एम0 सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 का अनुपालन करते हुये कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में नगरपालिका परिषद बेरीनाग द्वारा बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है-

1- **Sewage-** नगरपालिका परिषद बेरीनाग, क्षेत्रान्तर्गत सीवर लाईन स्थापित नहीं है।

F- नगरपालिका बेरीनाग क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कुल 07 होटल संचालित हैं। जिनके द्वारा अपने होटल परिसर में सोक्ता पिट बनाये गये हैं। होटलों द्वारा सीवर अपशिष्ट का निस्तारण अव्यवस्थित रूप से नहीं किया जा रहा है। पालिका द्वारा समय-समय पर होटलों का निरीक्षण भी किया जाता है। नगरपालिका बेरीनाग क्षेत्रान्तर्गत कोई भी आश्रम तथा धर्मशाला संचालित नहीं है।

2- **Municipal Solid Waste disposal-**

A- नगरपालिका परिषद बेरीनाग अन्तर्गत प्रत्येक दिवस 01.50 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है।

B- नगरपालिका परिषद बेरीनाग अन्तर्गत प्रत्येक दिवस 01.50 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है। नगरपालिका परिषद बेरीनाग द्वारा ठोस अपशिष्ट से रिसायकिल योग्य प्लास्टिक, शीशा, गत्ता, लोहा आदि पृथक कर स्थानीय कबाडियों को विक्रय किया जाता है। जिससे पालिका की प्रतिमाह रू0-4,000.00 से 5,000.00 तक आय प्राप्त होती है (संलग्न रसीद बुक की प्रति)।

C- नगरपालिका परिषद बेरीनाग में ट्रैडिंग ग्राउण्ड हेतु ग्राम सालीखेत, तहसील बेरीनाग में 0.080 हे0 राज्य भूमि उपलब्ध है। उक्त भूमि पर निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्लांट स्थापित करने से पूर्व भूमि समतलीकरण एवं चाहर दीवारी का कार्य कराया जा रहा था किन्तु स्थानीय नागरिकों के घोर विरोध होने के कारण प्लांट स्थापित नहीं हो पा रहा है।

उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु उपजिलाधिकारी महोदय, बेरीनाग की उपस्थिति में स्थानीय व्यक्तियों के समक्ष चिन्हित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमें पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक: 08 अप्रैल, 2016 के नियम 15 में प्राप्त निर्देशों के अनुसार स्थल से जल श्रोत की दूरी मापी गयी। चिन्हित स्थल से जल श्रोत की दूरी 200 मीटर से कम 130 मीटर की दूरी पर ही पेयजल श्रोत पाया गया। उक्त भूमि पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है (संलग्न-संयुक्त स्थलीय जांच रिपोर्ट)। उपजिलाधिकारी महोदय, बेरीनाग द्वारा राजस्व विभाग की टीम को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य हेतु अन्यत्र भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिये गये हैं। निकाय को भूमि उपलब्ध होने उपरान्त प्लांट स्थापित करने की कार्यवाही की जायेगी।

नगरपालिका बेरीनाग में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि, प्राप्त धनराशि एवं व्यय धनराशि की सूचना निम्नानुसार है-

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| 1- कुल स्वीकृत डी0पी0आर0 की धनराशि     | - | रू0-141.48 लाख |
| 2- वर्तमान तक कुल अवमुक्त धनराशि       | - | रू0-100.87 लाख |
| 3- माह दिसम्बर 2023 तक कुल व्यय धनराशि | - | रू0- 47.90 लाख |

कमश: 02 पर

-2-

**D-** नगरपालिका परिषद बेरीनाग द्वारा 660 मिटीक टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण नियिदा के आधार पर मैसर्स वसन्त ग्रुप लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से करा लिया गया है। वर्तमान में निकाय द्वारा समस्त सफाई कार्य, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन एवं सोर्स सैग्रिगेशन का कार्य आउट सोर्स एजेन्सी के माध्यम से किया जा रहा है। आउट सोर्स एजेन्सी द्वारा घर-घर से कूड़ा एकत्र किया जा रहा है। अधिकांश व्यक्तियों द्वारा गीले कचरों का घर पर ही खाद बनाकर अपने खेतों में उपयोग किया जा रहा है तथा सूखा कचरा निकाय के पर्यावरण मित्रों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसमें से निकाय द्वारा रिसायकिल योग्य कचरा यथा-गत्ता, प्लारिस्टिक, लोहा, सीसा, योतलें आदि को पृथक कर अस्थाई एम0आर0एफ0 सेन्टर जवाहर चौक बेरीनाग के समीप रखा जाता है। तथा शेष कचरे का निस्तारण पूसा परतोला रोड के समीप किया जाता है। वर्तमान में नगरपालिका परिषद बेरीनाग में पुराना लीगेसी वेस्ट एकत्र नहीं है।

**E-** उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट में उपचारित वेस्ट के उपयोग के तरीके के साथ-साथ अस्वीकृत कचरे को गड्डों में डाला जा रहा है।

**F- Constriction and Demolition waste-** नगरपालिका परिषद बेरीनाग क्षेत्रान्तर्गत निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्टों का निस्तारण नागरिकों द्वारा स्वयं की भूमि पर अपने स्वयं के संसाधनों से किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
अधिसासी अधिकारी,  
नगरपालिका परिषद बेरीनाग,  
जनपद-पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि-

- 1- जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ को सादर सूचनार्थ सेवा में प्रेषित।
- 2- प्रभारी अधिकारी/उप जिलाधिकारी महोदय, नगरपालिका परिषद बेरीनाग को सादर सूचनार्थ सेवा में प्रेषित।

अधिसासी अधिकारी,  
नगरपालिका परिषद बेरीनाग,  
जनपद-पिथौरागढ़।

Book No.

35

Form No. 5

RECEIPT

Receipt No.

51

MUNICIPALITY

NAGAR PANCHYAT BERINAG (PITHORAGARH)

Demand Register No.

आसिफ खान (कबाड़वाला)

Received From

गन्ना 1500 Kg x ₹-04.00 = 6000 = 00

Rupees (in words)

लौह 240 Kg x ₹-15.00 = 3600 = 00

On accounts of

सोसा 600 Kg x ₹-02.00 = 1200 = 00

Premises No.

पालीवाँ 150 Kg x ₹-02.00 = 300 = 00

Mohalla

कुल - 13,200 = 00

For the period

रिसायकिल योग्य कच्चा विक्रय

(बेरिनाग)

in full/part payment of demand bill no.

तीरह हजार दो सौ रुपये मात्र

Dated 30-11-2022

Rs.

13,200/-

Date.

30-11-2022

Executive Officer Secretary

Book No.

35

Form No. 5

RECEIPT

Receipt No.

71

MUNICIPALITY

NAGAR PANCHYAT BERINAG (PITHORAGARH)

Demand Register No.

श्री. उमर (कबाड बाल)

Received From

गन्ना 1560kg x 04.00 = 6000 = 00

Rupees (in words)

लीख 2601 रु x 15.00 = 3900 = 00

On accounts of

प्लास्टिक बोतल 200kg x 10.00 = 2000 = 00

Premises No.

शीशा - 900kg x 2.00 = 1800 = 00

Mohalla

कुल - 13700 = 00

For the period

रिसायकिल योग्य कचरा निष्क्रमण (बेरीनाग)

in full/part payment of demand bill no.

तेरह हजार सात सौ रु मात्र

Dated 31-12-2022

Rs.

13700 = 00

Date.

31-12-2022

Executive Officer Secretary


31/12/2022

Book No.  
35Form No. 5  
RECEIPT

Receipt No.

MUNICIPALITY

NAGAR PANCHYAT BERINAG (PITHORAGARH) 72

Demand Register No. सौ. उमर (कबाड वाला)Received From गन्ना, खादिक, लोहा, सीसाRupees (in words) नौ हजार दो सौ रुपये मात्रOn accounts of गन्ना - 980 X 4 = 3920 = 00  
लोहा - 212 X 15 = 3180 = 00Premises No. खादिक 140 X 10 = 1400 = 00  
सीसा 350 X 2 = 700 = 00  
7 Monhalla बेरीनाग (कलुवाला)  
9200 = 00For the period रिसायकिल थोगम कचरा विक्रम वापत शुल्क  
नौ हजार दो सौ रुपयेin full/part payment of demand bill no. \_\_\_\_\_ Dated 31/01/2023Rs. 9200 = 00Date. 31/01/2023  
Executive Officer Secretary



Book No.

45

Form No.5  
RECEIPT

Receipt No.

2

MUNICIPALITY

NAGAR PANCHYAT BERINAG (PTHORAGARH)

Demand Register No

मोहल्ला 372 (मोहल्ला)

Received From

प्रधानाधिकारी मोहल्ला नगर पंचायत

Rupees (in words)

चार - 440 x 4 = 1760

On accounts of

मोहल्ला - 42 x 15 = 1230  
मोहल्ला - 85 x 10 = 850  
मोहल्ला - 100 x 2 = 360

Premises No.

Mohalla 4200 = 00

मोहल्ला - 42 x 15 = 1230  
मोहल्ला - 85 x 10 = 850  
मोहल्ला - 100 x 2 = 360

For the period

in full/part payment of demand bill no.

Dated 01/09/2023

4200 = 00

[Signature]  
Executive Officer Secretary

30558

Book No.

45

Form No. 5  
RECEIPT

Receipt No.

3

MUNICIPALITY

NAGAR PANCHAYAT BERINAG (PITHORAGARH)

Demand Register No.

मोहल्ला नगर (कवासि)

Received From

रिसायलिसा मोरु अचरि विक्रम बाबु २५००

Rupees (in words)

पाचा - 500 x 4 = 2000 = ००

On accounts of

मोहल्ला - 95 x 15 = 1425 = ००

Premises No.

मोहल्ला - 90 x 10 = 900 = ००

Mohalla

120 = ००

मोहल्ला - पाच एकाय मोहल्ला 5045 = ००

For the period

फरवरी २०२३

in full/part payment of demand bill no.

Dated 11-10-2023

5045 = ००

10-2023

Executive Officer Secretary

संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या

निरीक्षण की तिथि :- 12-01-2024  
कार्य / योजना का नाम :- नगरपालिका परिषद, बेरीनाग के ट्रंचिंग ग्राउण्ड हेतु भूमि चयन के संबंध में।

जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ के आदेश संख्या-319/XXIII-25/2021-22 दिनांक: 18 अक्टूबर, 2023 के अनुपालन क्रम में अवगत कराना है कि :-

1- नगरपालिका परिषद, बेरीनाग क्षेत्रान्तर्गत जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना एवं विकेन्द्रीकृत सेग्रीगेशन निर्माण (ट्रंचिंग ग्राउण्ड) कार्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के अनुसार किये जाने हेतु ग्राम सालीखेत, तहसील बेरीनाग में 0.080है0 भूमि शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के नाम हस्तान्तरित है।

2- उक्त स्थल पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना एवं विकेन्द्रीकृत सेग्रीगेशन निर्माण (ट्रंचिंग ग्राउण्ड) पर आये दिन स्थानीय लोगों के भारी विरोध के कारण प्रकरण के निस्तारण हेतु दिनांक 12-01-2024 को उप जिलाधिकारी महोदय, बेरीनाग की उपस्थिति में राजस्व निरीक्षक, बेरीनाग, पालिका टीम, राजस्व उप निरीक्षक, बेरीनाग, तथा स्थानीय नागरिकों के साथ ग्राम सालीखेत, तहसील बेरीनाग में 0.080है0 भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

3- पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 08 अप्रैल 2016 के नियम-15 के उपनियम-VII के अनुसार भूमि भरण स्थल नदी से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, राजमार्गों, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति कुओं से 200 मीटर तथा विमान पतनों या हवाई अड्डे से 20किमी0 की दूरी पर होंगे।

4- अधिसूचना में प्राप्त निर्देशों के अनुसार स्थानीय नागरिकों के समक्ष स्थल से जल स्रोत की दूरी मापी गयी, जो 200 मीटर से कम 130 मीटर की दूरी पर स्थित है। जल स्रोत से स्थानीय नागरिकों द्वारा पेयजल आदि की आपूर्ति की जाती है।


ऐसी स्थिति में उक्त स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना एवं विकेन्द्रीकृत सेग्रीगेशन निर्माण (ट्रंचिंग ग्राउण्ड) का निर्माण किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है। उक्त भूमि नगरपालिका परिषद बेरीनाग को जनहित से सम्बन्धित अन्य प्रयोजनों हेतु उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

तदनुसार निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

  
राजस्व उप निरीक्षक,  
बेरीनाग ,

  
राजस्व निरीक्षक,  
बेरीनाग।

  
अधिसूचना अधिकारी,  
नगरपालिका परिषद,  
बेरीनाग।

  
उप जिलाधिकारी  
बेरीनाग।

कार्यालय नगरपालिका परिषद, बेरीनाग, जनपद- पिथौरागढ़।

पत्रांक 587 / निर्माण / 2023-24 दिनांक 23/01/2024

प्रतिलिपि:-

- 1- जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ सेवा में प्रेषित।
- 2- निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, 31/62 राजपुर रोड, देहरादून को सादर सूचनार्थ सेवा में प्रेषित।

  
अधिसूचना अधिकारी,  
नगरपालिका परिषद, बेरीनाग।

II

**M.R.F. CENTRE**  
नगरपालिका परिषद बेरीनाग

phone 05164  
5



II

**M.R.F CENTRE**  
**नगरपालिका परिषद बेरीनाग**



 **GPS Map Camera**

**Berinag, Uttarakhand, India**

Almora - Berinag Rd, Ralagar, Dhanoli, Berinag, Bora Sagar, Uttarakhand  
262531, India

Lat 29.780157°

Long 80.048837°

31/01/24 03:38 PM GMT +05:30

Google



कार्यालय नगर पालिका परिषद, गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)।

Phone - 05964- 299891

E-Mail eonpgangolihat2022@gmail.com

पत्रांक: ९३/एन०पी०/मा०रा०ह०प्राधि-सू०प्र०/2024

दिनांक ०५ जनवरी 2024  
जनवरी

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

**विषय-** मा० राष्ट्रीय हरीत प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014 एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा० प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या: 3617/18-5 पिथौरागढ़, दिनांक-24.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें विषयगत प्रकरण पर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरीत प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014 एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा० प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 का अनुपालन करते हुये कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में नगर पालिका परिषद गंगोलीहाट द्वारा बिन्दुवार सूचना दिनांक 27 जनवरी 2023 को आपके कार्यालय को प्रेषित कर दी गयी थी। आपके कार्यालय से वटसप में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर बिन्दुवार सूचना पुनः तैयार कर सादर सेवा में प्रेषित की जा रही है-

**1- SEWAGE-** नगर पालिका परिषद गंगोलीहाट क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान सिवर लाईन नहीं है। नगर क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में 11 होटल संचालित है। जिनके द्वारा अपने होटल परिसर में सोकता पिट बनाकर सिवर अपशिष्ट का प्रबंधन स्वयं किया जा रहा है। पालिका क्षेत्रान्तर्गत कोई भी आश्रम, धर्मशाला, संचालित नहीं है।

## 2- Municipal Solid Waste disposal-

**A-** नगर पालिका परिषद गंगोलीहाट अन्तर्गत प्रत्येक दिवस 0.2 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है।

**B-** नगर पालिका परिषद गंगोलीहाट अन्तर्गत प्रत्येक 0.2 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है। नगर पालिका परिषद गंगोलीहाट द्वारा ठोस अपशिष्ट से रिसायकिल प्लास्टिक, शीशा, गत्ता, लोहा आदि पृथक कर अस्थाई एम०आर०एफ० सेंटर में एकत्रित कर स्थानीय कबाडियों को विक्रय किया जाता है। वर्तमान तक पालिका द्वारा रू० 3,540.00 (तीन हजार पांच सौ चालीस रू० मात्र) की आय अर्जित की गयी है।

**C-** नगर पालिका परिषद गंगोलीहाट द्वारा अस्थाई एम०आर०एफ० सेंटर बनाया गया है, जिसमें प्लास्टिक कॉम्पैक्टर, ग्रेनुलेटर मशीन को स्थापित किया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अन्तर्गत शासन से स्वीकृत डी०पी०आर० के अनुसार ग्राम हाट पट्टी बालातडी तहसील गंगोलीहाट के तोक पैनापानी में 0.060 है० राजस्व भूमि हस्तांतरित की गयी है।

कुल स्वीकृत डी०पी०आर० - 84.04 लाख

वर्तमान तक अवमुक्त - 68.56 लाख

माह दिसम्बर 2023 तक उपयोग - 1.59 लाख

वर्तमान में क्षेत्रीय जनता के विरोध के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है। कार्य पुनः प्रारम्भ किये जाने के पालिका द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। आगामी 3 से 5 महीनों में कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

- D- नगर पालिका परिषद, गंगोलीहाट द्वारा कूड़ा निस्तारण स्थल गंगोलीहाट बेरीनाग रोड नियर जी0आई0सी0 में लीगेसी वेस्ट (63.00 वर्ग मी0) निस्तारण कार्य अपने संसाधनों से करा लिया गया है। वर्तमान में नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत लीगेसी वेस्ट शेष नहीं है।
- E- अनउपचारित सोलिड वेस्ट को मानव रहित स्थानों पर गडढे बनाकर निस्तारित किया जाता है।
- F- Constriction and Demolltion Waste- नगर पालिका परिषद, गंगोलीहाट अन्तर्गत निर्माण एवं विध्वंस (C & D) अपशिष्टों का निस्तारण नगरिकों द्वारा स्वयं अपनी भूमि पर किया जा रहा है व निर्माण एवं विध्वंस सामग्री का प्रयोग भी स्वयं किया जा रहा है।
- संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय,  
 For Jeevan  
 अधिशासी अधिकारी  
 नगरपालिका परिषद गंगोलीहाट।  
 पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि-

- 1- जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ को सादर सूचनार्थ सेवा में प्रेषित।
- 2- प्रभारी अधिकारी/उपजिलाधिकारी महोदय, नगरपालिका परिषद गंगोलीहाट को सादर सूचनार्थ सेवा में प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी,  
 नगर पालिका परिषद गंगोलीहाट।

बिन्दु-2-(C)

आदेश.

राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या-1887/XVIII (II) /2015-18(169)/2015 दिनांक 30.07.2015, वित्त (वे.आ-सा.नि.)अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-111/XXVIII(7)50(39)-15/2015 दिनांक 09.07.2015 तथा शासनादेश संख्या-496/XVIII(II)/2020-08(63)/2016 दिनांक 28.07.2020 में निहित प्राविधानों के आधार पर संख्या-110/2020 जनपद पिथौरागढ़ के नगर पंचायत गंगोलीहाट में कूड़े के निस्तारण हेतु ग्राम हाट पट्टी बालातडी, तहसील गंगोलीहाट के गैर जमींदारी विनाश खतीनी खाता संख्या-90 श्रेणी-9(3)ड बजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 268 मध्ये रकवा 0.060 हे० राज्य भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15.02.2002 एवं शहरी विकास अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या-353/IV-3/2021-12(2SWMY2020 दिनांक 15.02.2021 द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत, वृक्ष न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
8. प्रश्नगत नॉन जेड.ए. भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस.एल.पी.)/सी संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या-436/2011@SLP (C) NO.20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक जनवरी 2011 एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों के बिन्दु संख्या-01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

अतः उक्तानुसार स्वीकृत भूमि का सीमांकन कर याचक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाय।

दिनांक अक्टूबर /4, 2022

(डॉ० आशीष चौहान)  
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

-2-

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या- 130 / सात- 04 / 2022-23

दिनांक अक्टूबर, 15, 2022


- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
  2. उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट।
  3. अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गंगोलीहाट।
  4. तहसीलदार गंगोलीहाट को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत भूमि का सीमांकन कर प्रस्तावक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण सुनिश्चित करें, खसरे की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

विभाग सात  
 पत्रावली संख्या 04  
 वर्ष 2022-23  
 क्रमांक 01  
 पत्रिका संख्या 439  
 दिनांक 15/10/22



(डॉ० आशीष चौहान)  
 जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

Dr. Ashish Chohan



For Jecwan  
 अधिशासी अधिकारी  
 नगरपालिका परिषद गंगोलीहाट  
 पिथौरागढ़।

Received From  
Demand Register  
MUNICIPALITY

फॉर्म - 2 (B)

12

Form No. 5  
RECEIPT

Receipt No. 125

PANCHAYAT GANGOLIHAT (PITHORAGARH)

Handwritten entries in Hindi on a lined background, including names and numbers.

Number of demand bill No. : ..... Dated 20/07/2023

प्रति पत्रादि...  
दिनांक... 20/07/2023  
स्थान...  
संकेत...

Executive officer/Secretan  
Tax Collector  
Clerk Incharge of Demand  
and Collection Register  
Tax Superintendent

Signature  
For Jeevan  
अधिसासी अधिकारी  
भारत सरकार  
पिथौरागढ़

## कार्यालय नगर पालिका परिषद डीडीहाट, (पिथौरागढ़)

email:-nagarpalikadidihat@gmail.com Fax or Phone No- 05964232625

पत्रांक संख्या 1397/2023-2024 दिनांक 2/2/2024

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग  
पिथौरागढ़।

विषय -

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या -200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक कृपया आपके कार्यालय पत्र संख्या 3617/18-5/2023-2024 दिनांक 24.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या --200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद डीडीहाट द्वारा बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

1- Sewage -

नगर पालिका परिषद डीडीहाट अन्तर्गत सीवरेज व्यवस्था नहीं है। नगर क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक भवन स्वामी का व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक है। यह भी अवगत कराना है कि नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत 06 होटल है जिनमें 07 अधिक कमरे से अधिक वाले होटल नहीं है जिस कारण एसटीपी से जोड़ा जाना सम्भव नहीं है।

2- Municipal Solid Waste disposal -

- (A) नगर पालिका परिषद डीडीहाट अन्तर्गत प्रत्येक दिवस 3.30 टन कूड़ा उत्पन्न होता है जिसमें 3.00 टन कूड़े को प्रतिदिन निस्तारित किया जाता है।
- (B) नगर पालिका परिषद डीडीहाट अन्तर्गत प्रत्येक दिवस 03.30 टन कूड़ा उत्पन्न होता है जिसमें 3.00 टन कूड़े को प्रतिदिन निस्तारित किया जाता है। नगर पालिका परिषद डीडीहाट के अन्तर्गत 07 वार्ड है जिसमें सभी 07 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, सोर्स सैग्रीगेशन का कार्य कराया जा रहा है। नगर पालिका परिषद डीडीहाट द्वारा एक MRF (Materials Recovery Facility) सेंटर का निर्माण किया गया है जिसमें काम्पेक्टर मशीन, प्लास्टिक ग्रेनुलेटर मशीन स्थापित की गई है। प्रत्येक दिवस में कूड़ा पृथकीकरण करते हुये कूड़े से प्लास्टिक, शीशा, गत्ता इत्यादि को कॉम्पेक्ट एवं ग्रेनुलेट किया जाता है शेष गीला कूड़े को नियमानुसार निस्तारित किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद, डीडीहाट द्वारा 02 वार्डों में जैविक कूड़ेदानों (पिटो) का निर्माण किया गया है। वर्तमान में रूपया 10538.00 की आय अर्जित की जा चुकी है।
- (C) नगर पालिका परिषद डीडीहाट में प्रतिदिन 3.00 टन कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा अस्थाई एम0आर0एफ0 सेंटर बनाया गया है जिसमें प्लास्टिक कॉम्पेक्टर, ग्रेनुलेटर मशीन को स्थापित किया गया है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद डीडीहाट द्वारा दूनाकोट रोड कैणी नामक स्थान पर स्थल विकास निर्माण के सापेक्ष टैंडर उपरान्त कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है कार्य प्रगति पर है जो कि 31 अगस्त 2024 तक स्थायी प्लांट स्थापित कर दिया जाना सम्भव हो सकेगा।
- (D) नगर पालिका परिषद डीडीहाट वर्तमान तक लगभग 150 टन लीगेरी वेस्ट है।



नगर पालिका परिषद डीडीहाट में ठोस अपशिष्ट में उपचारित वेस्ट के उपयोग के तरीके के साथ-साथ अस्थीकृत कचरे को कम्पोस्ट गड्ढों में डाला जा रहा है। लीगेसी वेस्ट की लगभग 80 टन सूखा कूड़ा जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, गत्ता, कोंच, लोहा टिन आदि पृथक कर एकत्रित कर लिया गया है जिसके उपरान्त लगभग 70 टन लीगेसी वेस्ट की मात्रा अवशेष है।

- (F) नगर पालिका परिषद डीडीहाट में नगर पालिका परिषद डीडीहाट के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु दूनाकोट रोड ग्राम कैणी रा0उ0नि0 क्षेत्र देव विसौना के गैर ज0वि0 खतौनी खाता संख्या 13 के खसरा नं0 28 मध्ये खेत नम्बर 2729 म0 0.160 हे0 तथा खेत नम्बर 2731 म0 0.040 हे0 कुल 0.200 हेक्टियर (दस गाली भूमि) उक्त भूमि श्रेणी 9(3) ड कृषि योग्य बंजर काविल आवाद चयनित की गई है जिसे जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 901/सात-16/2021-22 दिनांक मार्च 14, 2022 के क्रम में उक्त भूमि नगर पालिका परिषद डीडीहाट को हस्तान्तरित कर दी गई है जिसमें टैण्डर लगाये जाने उपरान्त कार्यादेश जारी कर दिया गया है निर्माण कार्य प्रगति पर है। दिनांक 31 अगस्त 2024 तक प्लांट स्थापित होने की सम्भावना है। जिसमें समस्त प्रकार के कूड़े का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण सम्भव हो सकेगा। वर्तमान में नगर पालिका परिषद डीडीहाट अन्तर्गत निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट का निस्तारण नागरिकों अपने निवास स्थान पर ही स्वयं किया जा रहा है।

### 3- Regulation of Flood plain zone -

- (A) नगर पालिका परिषद डीडीहाट अन्तर्गत Flood Plain zone की कोई कार्ययोजना नहीं बनायी गयी है। उक्त की कार्ययोजना मुख्य अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग देहरादून द्वारा तैयार की जायेगी।

### 4- Mining -

- (A) नगर पालिका परिषद डीडीहाट क्षेत्रान्तर्गत कोई भी हाइड्रो प्रोजेक्ट संचालित नहीं है।

भवदीय  
 अधिशासी अधिकारी  
 नगर पालिका परिषद डीडीहाट

### प्रतिलिपि -

1. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी  
 नगर पालिका परिषद डीडीहाट





UKPCB

क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)  
Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/गंगा 30/24/2444-1085

Dt- 03/01/24

सेवा में,


प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव जिला गंगा सुरक्षा समिति,  
पिथौरागढ़, जिला-पिथौरागढ़।

विषय- मा0 एन0जी0टी0 प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन-पत्र (ओ0ए0)संख्या-200, वर्ष 2014 एम0सी0 मेहता बनाम गंगा प्रदूषण एवं सफाई आदि के मामले में पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिला गंगा सुरक्षा समिति के अन्तर्गत कार्यालय क्षेत्रान्तर्गत जनपद-पिथौरागढ़ से संबंधित बिन्दुओं पर सूचना तैयार कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि



DPO क० आ० का० क०

प० व० अ०

भवदीय

(डॉ० डी०के०जोशी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा सुरक्षा समिति पिथौराढ़ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

S.No	Industrial Effluent Discharge	Proceeding
1	Number of Industrial unit discharging their effluent treated/Untreated in river ganga and its tributaries and details of defaulting industrial units.	Total No of Industries Effluent Discharging outside Premises - Nil
2	Total Daily Generated of such industrial waste within the District	Industrial Effluent Generated-Nil Total registred Industries-Nil
3	The Manner of treatment of the industrial waste so generated	Industries having own ETP,s
4	The Discharge effluent analysis form the CETP and ETP treating the industrial waste form each outlet.	Zero discharge.
5	The Per day generation of industrial Hazardous waste and manner of its treatment and disposal in the District	0.34 MT/Annum disposed through TSDF/Authorised recyclers



प्राप्त  
31/1/24

30573



Annexure - IV

64

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़।

पत्रांक:- 183 /सिंखपि/गंगा समिति/दिनांक 27 जनवरी, 2024।

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014 एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-आपका पत्रांक:-3344/18-5 पिथौरागढ़/दिनांक 04.01.2024 एवं पत्रांक:-3617/18-15/पिथौरागढ़/दिनांक 24.01.2024।

प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में आपको अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आप द्वारा वॉछित अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

Issues	Information Saught (वॉछित सूचनार्थ)	Proceeding (कार्यवाही)
5-Regulation of Flood Plain Zone	If the flood plain zone has been demarcated and the extent of encroachment on the flood plain zone in the district.	इस सम्बन्ध में फ्लड मैनेजमेंट एक्शन प्लान के अन्तर्गत लेबल मार्किंग किये जाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता महोदय एवं मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) अल्मोड़ा को पत्राचार किया जा रहा है। उक्त कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, देहरादून द्वारा वर्तमान तक कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। निर्देश प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।
7-Mining	Hydro projects to maintain 15% flow.	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस विभाग द्वारा निर्मित थरकोट झील में इकोलॉजिकल फ्लो 15 प्रतिशत से अधिक रखा जा रहा है। वर्तमान में लगभग 20 प्रतिशत आउट-लेट फ्लो थरकोट गधेरे में (माह-नवम्बर से मार्च तक) किया जायेगा।

0105  
18-5  
31-01-2024

DPo  
का 310 का 0 कर्क  
31-01-2024

अधिशासी अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़।

पत्रांक:- /सिंखपि/गंगा समिति/तददिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ को उनके पत्रांक:-1264(1)/XXIII-NGT/2023-24/दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 के क्रम में सूचनार्थ सेवा में प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़।

डाप  
10/1/24

30574

5 1439 61

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक बायोमेडिक्वेस्ट मैनेजमेन्ट / 2023-24 / 2658

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

Anexure - V

विषय मांराष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में आयोजित मूल आवेदन संख्या-200/2014 एमंसींमेहता बनाम भारत संघ व अन्य में मांप्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3344/18-5 पिथौरागढ़ दिनांक 04जनवरी 2024 के अनुपालनअर्थ स्वास्थ्य विभाग जिला पिथौरागढ़ के द्वारा सूचना निम्न प्रकार है।

बिन्दु संख्या एक - प्रतिदिन जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम	प्रतिदिन जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट
1	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़	10.350 किलोग्राम
2	जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़	6.750 किलोग्राम
3	उप जिला चिकित्सालय, धारचूला	0.750 किलोग्राम
4	सामुंस्वांकेन्द्र, गंगोलीहाट	0.750 किलोग्राम
5	सामुंस्वांकेन्द्र बेरीनाग	0.850 किलोग्राम
6	सामुंस्वांकेन्द्र डीडीहाट	0.550 किलोग्राम
7	सामुंस्वांकेन्द्र मुनस्यारी	0.750 किलोग्राम
8	प्रांस्वांकेन्द्र, कनालीछीना	1.00 किलोग्राम
9	प्रांस्वांकेन्द्र, बड़ालू	0.525 किलोग्राम
10	प्रांस्वांकेन्द्र, ईग्यारदेवी	0.873 किलोग्राम
कुल प्रतिदिन जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट		23.148 किलो ग्राम

बिन्दु संख्या दो - जैव चिकित्सा अपशिष्ट के ट्रीटमेंट एवं निस्तारण की प्रक्रिया हेतु चिकित्सालयों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के बिलीच कर डीप बरियल पिट एवं सार्प पिट में बायोमेडिकल बेस्ट मैनेजमेन्ट की नियमावली के मानकों के अनुसार निस्तारण किया जाता है।

7408  
18-5  
10-01-2024

DPO  
कुं आं कां के  
व 0 आं

भवदीय,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
पिथौरागढ़।

कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,  
न्यू टकाना कालोनी, निकट शिवमन्दिर पिथौरागढ़।

पत्रांक: J150 / भू0खनि0वि0पिथौ0 / विविध / 2023-24

दिनांक 10/01/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,  
पिथौरागढ़।

Annexure - VI


विषय-

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम् भारत संघ व अन्य में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या-3344/18-5 दिनांक 04 जनवरी, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के संदर्भित पत्र संख्या-1264(1) दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-200/2014 एम0सी0मेहता बनाम् भारत संघ व अन्य में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2023 के अनुपालन में बिन्दु संख्या-07 में खनन से सम्बन्धित वॉछित सूचना चाही गयी है।

अतः उक्त पत्र के बिन्दु संख्या-07 में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से सम्बन्धित वॉछित सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद पिथौरागढ़ अर्न्तगत नदी तल में इस वित्तीय वर्ष के अर्न्तगत अवैध खनन सम्बन्धी कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।



DPO  
को ज्ञा. को ज्ञा.  
[Signature]

भवदीय,

[Signature]  
(राहुल नेगी)

खान निरीक्षक /  
प्रभारी जिला खान अधिकारी।

संख्या-

/ दिनांक उपरोक्तानुसार-

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी महोदया पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(राहुल नेगी)

खान निरीक्षक /

प्रभारी जिला खान अधिकारी।

# M.R.F. CENTRE

नगरपालिका परिषद बेरीनाग



GPS Map Camera

Berinag, Uttarakhand, India

Almora - Berinag Rd, Raiagar, Dhanoli, Berinag, Bora Sagar, Uttarakhand

262531, India

Lat 29.780157°

Long 80.048837°

31/01/24 03:38 PM GMT +05:30

Google

**M.R.F CENTRE**

**नगरपालिका परिषद बेरीनाग**



नगर पालिका परिषद द्वारा चूला द्वारा लीगेसी वेस्ट निस्तारण कार्य-

